09 ई॰ प्रदीप मिंज 88080/- 0.118 / 0.056 सिमडेगा 09 1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मूल्य 3520/-

880=00

2.50

0.44

3=44

883=44

04.1.08

(1) लेख्यकारी :- श्री प्रदीप खेस्स पिता स्व0 करलुस खेस्स जाति- उराँव, पेशा- गृहस्थी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 03 - 12008

000900/07

जिला कोषागार पदाधिकारी
18 DEC 2007
सिमडेगा

... 730 ... 3/1/2008

पुलुस बेक पिता स्व० हाबिल बेक

नानिसुरा सिमडेगा

सिमडेगा केवाल

मूल्य 1000/- 730 से 735 तक

1000 × 3 = 3000
500 × 1 = 500
10 × 2 = 20
6 = 3520

3/1/2008
सिमडेगा
1/C3

04.1.08

सही - प्रदीप खेस्स
ता० - 4-1-08

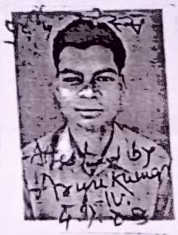

प्रदीप खेस्स
स्व. करलुस खेस्स
खिजरी सिमडेगा
सामटोली सुरक्षी

4/1/08

उपर्युक्त प्रदीप खेस्स
ने लेख्य का निष्पादन स्वीकार किया है
जिनकी पहचान पॉल खेस्स
पिता स्व० करलुस खेस्स
ग्राम
देशा ... ने की है।

जिला सब रजिस्ट्रार सिमडेगा

4/1/08

2.4.17
4.1.08

सही - प्रदीप खेस्स
ता० - 4.1.08

2.4.18
4.1.08

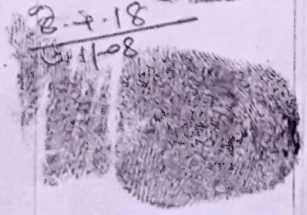

सही - पॉल खेस्स
ता० 4-1-08

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(2) लेख्यधारी :- श्री पेत्रुस बेक पिता स्व0 हाकिम बेक, जाति- उराँव, पेशा- गृहस्थी, निवास ग्राम- नानेसेरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 04-/2008

(3) लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वेला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य :- मोबलिग अठासी हजार रुपये अंके 88,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पत्ति :- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 96 (छियानबे) प्लॉट नं0 228 (दो सौ अठाईस) रकबा 1.59 एकड़ में से 0.11 एकड़ (ग्यारह डिसमिल) आवासीय जमीन ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- सेवे खेस्स का टांड़ इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण :- पौलुस खेस्स का टांड़ इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश रास्ता का 5 फीट,

पश्चिम :- पौलुस खेस्स का टांड़ इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 5 पैसा (पाँच पैसा) अलावे सेस लगाना ।

सही- [illegible]
ता०- 4-1-08

ग्रा. सही- जुलियाना [illegible] खेस्स
पिता श्री [illegible] खेस्स
ग्रा० खिजरी सालटोली
थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा
ता- 4.1.08

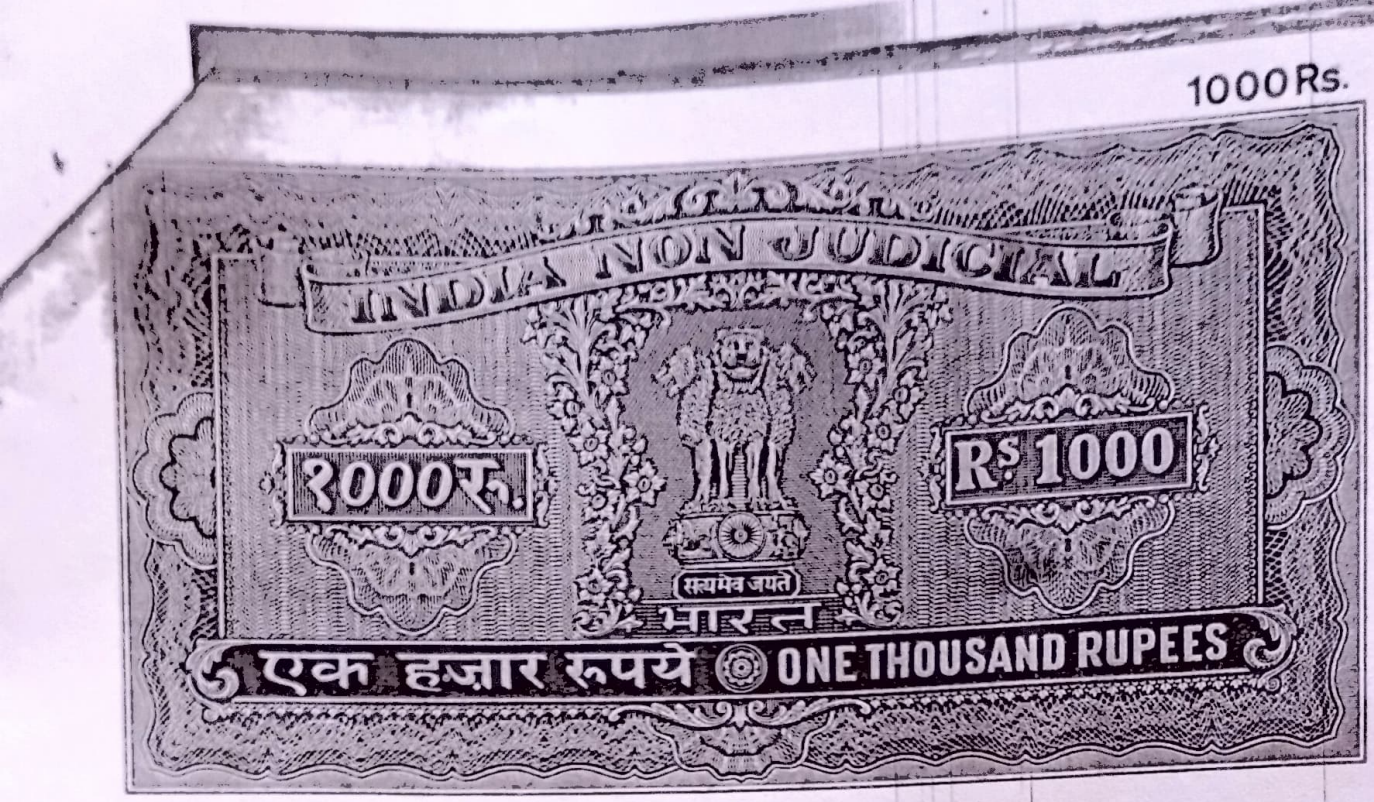

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(1) चूँकि मुझ लेखयकारी को घर बनाने के लिए एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरुरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखयधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखयधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्री की जानेवाली जमीन मेरी खतियानी जमीन है । जिसके खतियानी रैयत मेरे परदादा छोटका बण्डा उराँव वगैरह थे । वर्तमान में जमाबंदी मेरे एवं अन्य के नाम से चल रही है । बिक्री की जानेवाली जमीन मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

सही - [illegible]
ता० - 4-1-08

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 87/2005-06 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 10.12.07 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1056 दिनांक 11.12.07 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैना कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - प्रदीप खेरस
ता० - 4-1-08

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदीप खेरस ने अपने बायें हाथ की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिये। सही अरुण कुमार, अधिवक्ता ता: 4.1.2008

सही - प्रदीप खेरस
ता० - 4-1-08

मैं लेखयधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - पेट्रुस बेक
ता: 4/1/08

प्रमाणित किया जाता है कि पेट्रुस बेक ने अपने बायें हाथ की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिये। सही अरुण कुमार, अधिवक्ता
ता: 4.1.2008 ।

10 RS.

—6—

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- अरुण कुमार,
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्ता)
तारीख:- 4.1.2008

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है एवं मूल दस्तावेज के साथ दाखिल द्वितीयक प्रति एक दूसरे की हूबहू एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

टंकक
4.1.2008
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा।

सही/-
4-1-08